एक कदम पार्दर्शिता की ओर

न्यूज लेटर अप्रैल-मई 2021

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

National Commission For Scheduled Castes,

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003

संपादक –
राजेश रंजन सिंह
Email: singh.rr9@gmail.com
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
भारत सरकार

अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराएं:
https://ncsc.negd.in

किसी भी प्रकार के सुझाव व शिकायतों के लिए संपर्क करें।
011-24620435
011-24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
5वां तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से न्यूज लेटर जारी करने का यह पहला प्रयास है। ऐसे में कुछ त्रुटियां संभव हैं। शुरुआत मुश्किल थी और लक्ष्य था आयोग द्वारा किये जा रहे कामों को राज भाषा हिंदी में प्रकाशित करना। किसी कार्यालय में किसी विचार को मूर्त रूप देने में उस कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत योगदान होता है। मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमेशा हिंदी भाषा को तरजीह दी है। पहले प्रयास में यदि कोई सुझाव व शिकायत हो तो जरूर बताएं।

धन्यवाद

(संपादक)

National Commission For Scheduled Castes

माननीय अध्यक्ष का संदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मुझे यह न्युज लेटर जारी करते बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। अध्यक्ष पद संभालने के बाद आयोग निरंतर आगे बढ़ता रहे, ऐसा हमने संकल्प लिया। हमने 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 130 वीं जयंती का आयोजन आयोग कार्यालय में किया और बाबा साहेब को ही समर्पित शिकायत निवारण पोर्टल भी शुरू किया।

आयोग के गठन के साथ ही हमने संकल्प लिया था कि जल्द ही अनुसूचित जाति के लोगों के लिए शिकायत निवारण पोर्टल शुरू करेंगे, इसका ध्यान रखते हुए ही ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। 14 अप्रैल को माननीय केंद्रीय और न्याय, इलेकट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रत्तन लाल कटारिया, आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व सदस्या श्रीमती अंजू बाला के नेतृत्व में पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

इस पोर्टल के माध्यम से अब शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा होगा। आयोग का उद्देश्य इस पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जाति की आबादी की शिकायत निवारण तंत्र को व्यवस्थित करना है। यह पोर्टल अनुसूचित जाति के लिए देश के किसी भी हिस्से से शिकायत दर्ज करना आसान बना देगा। इस पोर्टल पर हमने अलग से सबूत के तौर पर ऑडियो-वीडियो फाइल भी अपलोड करने की व्यवस्था की है। लोगों की सुविधा के लिए पोर्टल पर हिंदी भाषा की भी सुविधा दी गई है । इससे त्वारित कारवाई हो सकेगी ।

जब करोना काल में अधिकांश सरकारी दफ्तर बंद थे, उस समय में भी आयोग निरंतर काम करता रहा । कोरोना काल में भी निरंतर और निर्बाध रूप से आयोग ने ई-सुनवाई के ज़रिये मामलों को सुना और हल भी किया।

आयोग अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है । हमारे आयोग का उद्देश्य बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को अपनाते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाना है। संविधान और सरकार की नीतिओं में अनिवार्य रूप से शामिल अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी नवीनीकृत किया है।

मुझे विश्वास है कि आयोग अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय की प्रतिबद्धता और वचनबद्धता पर खरा उतरेगा। मगर यह सब आपके सहयोग से ही सफल हो पाएगा।

सादर धन्यवाद

विजय सांपला
अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

संदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से पहली बार न्यूज लेटर प्रकाशित होने पर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। पहले अंक में हमने आयोग द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में बताया है। आयोग के गठन के साथ ही हमने जो संकल्प लिए थे, उन्हें पूरा करने की ओर आयोग अग्रसर है। आशा करता हूं कि न्यूज लेटर का यह अंक आप सभी को पसंद आएगा।

सादर धन्यवाद

अरूण हालदार

उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारे आयोग द्वारा न्यूज लेटर का पहला अंक प्रकाशित होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं आयोग से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं इस न्यूज लेटर द्वारा आप सभी को आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी मिलेगी।

सादर धन्यवाद

सुभाष रामनाथ पारधी

सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

संदेश

मुझे यह जानकर अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहले न्यूज लेटर का प्रकाशन कर रहा है। इसके माध्यम से आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। भविष्य में इसके सफल प्रकाशन की मैं कामना करती हूं तथा पत्रिका के प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं प्रदान करती हूं।

सादर धन्यवाद

अंजू बाला

सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

आयोग की बैठक

छठे आयोग का गठन फरवरी 2021 में किया गया। गठन के बाद से अभी तक आयोग की दो बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 17 मार्च और दूसरी बैठक 1 अप्रैल 2021 को हुई।

चंडीगढ़ ऑफिस दौरा

माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने पंजाब का दौरा किया। इस दौरान उन्होने चंडीगढ़ आॉफिस का भी दौरा किया। चंडीगढ़ आॉफिस दौरे के दौरान माननीय अध्यक्ष ने लगभग 400 ऐसे लंबित मामलों को बंद कराया, जिनमें आगे की कारवाई की आवश्यकता नहीं थी।

प्रमुख मामले

- आईआईटी खड़गपुर
- बंगाल चुनाव में हिंसा
- बिहार के पूर्णिया में बस्ती में हिंसा
- पंजाब में अरदास
- पंजाब का पोस्ट मैट्रिक मामला
- पंजाब का पीपीएस-आईपीएस पदोन्नति मामला

प्रमुख घटनाएं

बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मदिवस

भारत रत्न बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर की 130वीं जंयती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय में धूमधाम से मनाई गई । इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय में अध्यक्ष माननीय विजय सांपला, उपाध्यक्ष अरूण हालदार व सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती पर श्रद्धासुमन भेंट किए।

वेब पोर्टल लॉन्च

भारत रत्न बाबा साहिब डा. भीम राव अम्बेडकर की 130वीं जंयती के अवसर पर राष्ट्रीय अनुसुचित जाति आयोग ने पहल करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारम्भ किया। केंद्रीय संचार और सुचना प्रोद्योगिकी, विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबन्धन पोर्टल का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता राज्य मंत्री श्री रत्तन लाला कटारिया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सांपला उपाध्यक्ष अरूण हालदार, सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी व सदस्या अंजू बाला उपस्थित रहीं।

ई-सुनवाई

ई-सुनवाई का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में देश भर में ई-गवर्नेंस का विस्तार करना है। उनसे प्रेरणा लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कोविड-19 के समय में ई-सुनवाई प्रक्रिया की शुरूआत की है। इससे सुनवाई में पारदर्शिता के साथ-साथ अपीलकर्ताओं को समय से न्याय दिलाने और स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ भी मिल रहा है।

बंगाल दौरा

12-15 मई के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बंगाल यात्रा की। दरअसल, बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सारी हिंसाओं की वारदात की शिकायत आयोग मिली थी। आयोग को लगभग 3 हजार शिकायतें मिली थीं। संज्ञान लेते हुए आयोग ने माननीय अध्यक्ष विजय सांपला जी के नेतृत्व में बंगाल का दौरा किया। इस दौरान आयोग ने घटना स्थलों का दौरा किया। गांवों में और अस्पताल जाकर पीड़ितों का हाल जाना। माननीय अध्यक्ष ने हिंसा पीड़ितों को मुआवजे दिलाने के लिए सरकार को कहा। साथ ही आयोग ने दोषियों/ आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

मीडिया में आयोग की झलकियां

आईआईटी खड़गपुर मामला

आईआईटी खड़गपुर में एक प्रोफेसर ने कुछ अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष विजय सांपला ने संज्ञान लेते हुए आईआईटी खड़गपुर के निदेशक, सचिव भारत सरकार हायर एजुकेशन,पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को जांच के आदेश दिए। हालांकि प्रोफेसर को निलंबित किया गया लेकिन आयोग के प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है।

बंगाल चुनाव हिंसा

पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव के बाद अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार व हिंसा के मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपना दौरा किया। इस संबंध में आयोग को 3000 से अधिक शिकायतें मिली। गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी दलितों को निशाना बनाया गया। 672 से भी ज्यादा परिवार हिंसा के कारण पलायन कर गए। इस पर आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से एक्शन टेकन रिर्पोट मांगी।

बिहार पूर्णिया मामला

बिहार के पूर्णिया जिले में 19 मई की रात एक समुदाय के लगभग 150 लोगों ने पूर्णिया जिला स्थित महादलितों की बस्ती के लोगों पर हमला कर दिया। महादलितों की बस्ती पर हमला बोलने वाले समुदाय के द्वारा वहां के घरों में आग लगा दी गई। इस घटना में लोगों के मरने और बड़ी संख्या में घायल होने के साथ साथ बूढ़े-बच्चों को पीटने की खबरें भी मीडिया में आईं। इसके अलावा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने व आबरू लूटने का प्रयास करने की भी खबरें आई। घटना पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव, बिहार पुलिस के डीजीपी, पूर्णिया जिले के जिलाधीश और पूर्णिया जिले के एसपी को नोटिस जारी किया। आयोग की एक टीम शीघ्र ही घटना स्थल का दौरा करेगी व एक विस्तृत रिर्पोट सभी सबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशों के साथ भेजी जाएगी।

पंजाब अरदास मामला

पंजाब के बठिंडा स्थित गांव बीड़ तालाब की महिला सरपंच राजपाल कौर के पति गुरमेल सिंह खालसा द्वारा गुरुद्वारा साहिब में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तंदुरुस्ती और डेरा प्रमुख की रिहाई के लिए अरदास की गई। इस संबंध में शिकायत मिलने पर पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर गुरमेल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष माननीय विजय सांपला ने मामले में पूरी घटना पर जांच रिर्पोट मांगी।

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामला

पंजाब के बरनाला में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत भर्ती हुए छात्रों से भी फीस वसूलने के मामले का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार के मुख्य सचिव सामाजिक न्याय-अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव, डीसी बरनाला व एसपी बरनाला को नोटिस जारी किया। आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने सभी सबंधित अधिकारियों से रिर्पोट मांगी है व विद्यार्थियों को रोल नंबर जारी करने के आदेश दिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने कहा कि यह मामला अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ये छात्र पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत भर्ती हुए थे। इसके बावजूद कुछ कालेज प्रबन्धकों द्वारा फीस की मांग करना और रोल नंबर जारी न करना पूरी तरह से गलत है ।

पंजाब पीपीएस – आईपीएस मामला

आरक्षण नीति की पालना न करते हुए पंजाब सरकार द्वारा पंजाब पुलिस सर्विस के अफसरों की इंडियन पुलिस सर्विसेज़ में प्रमोशन दी गई, इसका संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि जिन अफसरों ने केन्द्र सरकार के प्रमोशन के रूल एवं पंजाब सरकार के पंजाब शडयूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास (रिज़र्वेशन इन सर्विसेज़) अमेंडमेंट ऐक्ट 2018(पंजाब ऐक्ट नंबर 17 आफ 2018) को नज़रअंदाज किया है, उन पर आयोग कानून के अनुसार सख्त कारवाई करेगा।

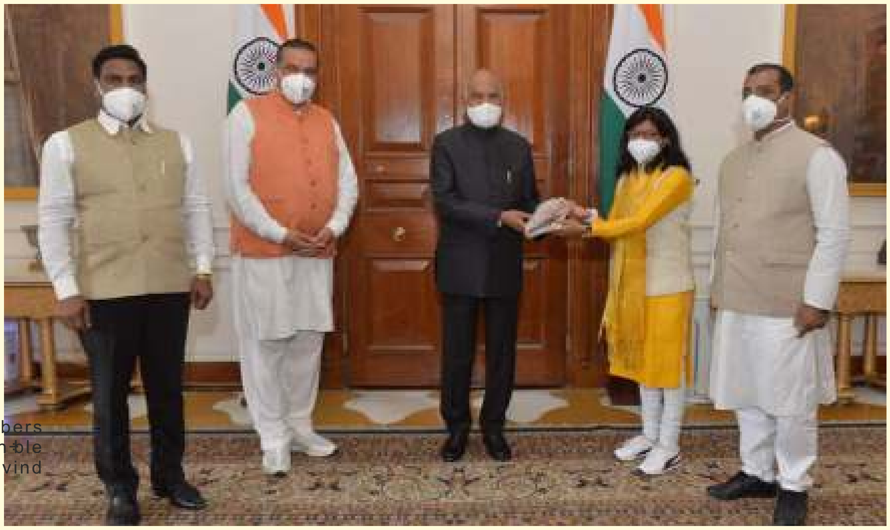

Hon'ble Chairman, Vice Chairman and Members of the NCSC Paid a courtesy visit to the Hon'ble President of India Shri Ram Nath Kovind ji On 17th March 2021

Hon'ble Chairman, Vice Chairman and Members of the NCSC Paid a courtesy visit to the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji On 11th March 2021

Mandate of the Commission

1. To investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;

2. To inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Castes; this is

3. To participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;

4. To present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

5. To make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes; and

6. To discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and

समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का किया गया संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा........

श्री नरेन्द्र मोदी